

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा सिविल 2025 कैम्प स्थल - शोळिया.....)



धारा अन्तर्गत - 136

प्रसं: 217/25

दायर दिनांक: 27.9.2025

निर्णय दिनांक: 23.09.2025

क्र.सं..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>शोळिया</u>	<u>195</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ दीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ दीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
			हस्ताक्षर <u>सहायक कलक्टर</u>	हस्ताक्षर <u>मिहदावर</u>	हस्ताक्षर व मोहर <u>तहसीलदार</u>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			रटेट बैंक ऑफ़ दीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया		

प्रतिरिपि पालनार्थ:-

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल शोळिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गाढ

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन